

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प गोखनपुरा
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ीद जिला बारा
प्रकरण संख्या :- 56/2017 दावा
दायरा दिनांक :- 27.04.2017
निर्णय दिनांक :- 27.05.2017

उनवान

सधेश्याम पुत्र पन्नालाल जाति नाई निवासी राजपुरा खालसा तहसील छीपाबड़ीद जिला बारा

बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबड़ीद जिला बारा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :- 27.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1 श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0न0 744/628 रकबा 3 बीघा मौजा राजपुरा खालसा में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काशत में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काशतकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काशतकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 25.04.2013 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 25.04.2013 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काशतकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जयें सम्मन तलव किया गया। वादी गण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोहडी संवत 2067-70 खाता संख्या 174 पेश की गई नकल नक्शा टेस पेश किया है। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प गोखनपुरा पर उपस्थित हुआ। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काशत की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काशतकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ीद जिला बारा

5. यह कि वादी वादपत्र के मद नम्बर-1 में वर्णित भूमि की सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है।

निरन्तर--- 2पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या	56/2017	धारा अन्तर्गत 89, RTA	निर्णय दिनांक : 27.05.2017
समक्ष :	श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति :	अभिभाषक वादी:- श्री ललित कुमार शर्मा		अभिभाषक प्रतिवादी-

वाद शीर्षक

उनवान

राधेश्याम पुत्र पन्नालाल जाति नाई निवासी राजपुरा खालसा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जयें तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैंप गोरधनपुरा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम राजपुरा खालसा के ख0नं0 744/628 रकबा 3 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार रू0 का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 27.5.17 को निर्गत किया गया।



हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		